UPSI180011132019

न्ययलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur

पेठसीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh), **(उ०प्र० न्ययिक सेवा) - UP03730**

मूलवाद सं० Civil Suit/174/2019

Tarachandra Vs. Ajay Kumar and others

दिनॉक–05.08.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभय–पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2 व 3 नियत है।

उभय पक्षों को वाद–बिन्दु सं0–2 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद–बिन्दु संख्या–2

यह वाद–बिन्दु इस प्रकार विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?

प्रतिवादीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वाद का मूल्यांकन कम करके न्यायशुल्क कम अदा किया गया है। वाद का मूल्यांकन 1,50,000 रू0 से कम नहीं है।

जबकि वादी की ओर से वाद का मूल्यांकन सही प्रकार से किये जाने के सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी ने यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वाद–पत्र के अनुसार वादी ने विवादित सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 1100 रू0 होने का अभिकथन करते हुए उसके 1/5 भाग 220 रू0 पर वाद का मूल्यांकन किया है। प्रतिवादीगण की ओर से कथन किया गया है कि विवादित भूमि में कुआं, 25 वर्ष पुराना नीम का पेड़, लैट्रिन स्थित हैं। कमीशन आख्या व मानचित्र 20ग के अनुसार भी विवादित भूमि पर कुआं, शौचालय, नीम का पेड़ एवं नांद आदि मौजूद होना दर्शित है। इस प्रकार वादी द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन कतई उचित नहीं है। न्यायालय के मत में वादीय सम्पत्ति का मूल्यांकन मु0–10,000 रू0 निर्धारित किया उचित है। तद्नुसार वादबिन्दु सं0 2 वादी के विरूद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद–बिन्दु सं0–2 वादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वाद का मूल्यांकन मु0–10,000 रू0 किये जाने के लिये आवश्यक पैरवी अग्रिम नियत तिथि तक करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि0 03.09.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP3730

अजय/स्टेनो–

Digitally signed by AKSHITA SINGH
Date: 2022.08.05 15:48:29 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.